



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आश्विन 1942 (श10)

(सं० पटना 812) पटना, सोमवार, 19 अक्टूबर 2020

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

16 अक्टूबर 2020

सं० बी1-3-48/2020-51—बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-434/बिहार-वि०स०/2015 (2) दिनांक 15.10.2020 हिन्दी एवं अंग्रेजी में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव-सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक 15 अक्टूबर, 2020, 23 आश्विन 1942 (शक)

सं० 434/बिहार-वि.स./2015 (2) :-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, बिहार राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित तारीख 15 सितंबर, 2015 की समय समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 434/बिहार-वि.स./2015 (2) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ (1) में, दर्शायी गई प्रविष्टियों के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रविष्टियां और जोड़ी जायेंगी :-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
2- रामनगर (अ०जा०)	6 प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, गौनाहा
3- नरकटियागंज	6 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (शिक्षा विभाग), पश्चिम चम्पारण, बेतिया
5- लौरिया	5 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड योगापट्टी 6 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, योगापट्टी 7 प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, योगापट्टी
6- नौतन	6 प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बैरिया
7- चनपटिया	5 प्रखंड कृषि पदाधिकारी, चनपटिया
8- बेतिया	6 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बेतिया
9- सिकटा	6 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना लेखा (शिक्षा विभाग), पश्चिम चम्पारण, बेतिया

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/ Dated: 15th October, 2020, 23 Asvina, 1942 (Saka)

No. 434/BR/LA/2015 (2) :- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby makes the following amendments in its Notification No. 434/BR-LA/2015 (2), dated 15 September, 2015, as amended from time to time, relating to appointment of Assistant Returning Officer for Assembly Constituencies in the State of Bihar namely:

In the existing entries against column 1 of the table appended to the said notification, the following entries shall be added:-

TABLE

Number and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
2-Ramnagar (SC)	6 Block Statistics Officer, Gunaha
3- Narkatiaganj	6 District Program Officer, Secondary Education (Education Department), West Champaran, Bettiah
5- Lauriya	5 Child Development Project Officer, Block Yogapatti 6 Block Marketing Officer, Yogapatti 7 Block Welfare Officer, Yogapatti
6- Nautan	6 Block Agricultural Officer, Bairia
7- Chanpatia	5 Block Agricultural Officer, Chanpatia

Number and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
8- Bettiah	6 Block Panchayat Raj Officer, Bettiah
9- Sikta	6 District Program Officer, Planning Accounts (Education Department), West Champaran, Bettiah

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
SR. PRINCIPAL SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 812-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>